RCMS → 2020/00101

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 59/2020 (88 आर.टी.एक्ट) निर्णय दिनांक 18.09.2020

बउनवान

बद्रीलाल पुत्र रामकन्या जाति गुर्जर निवासी कनवास तहसील कनवास।

वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी स्वयं बद्रीलाल।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद बाबत खाता दुरुस्ती अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वादी बद्रीलाल पुत्र रामकन्या द्वारा इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया कि संयुक्त खाते की आराजी ग्राम कनवास की खसरा नबंर 1230 रकबा 3.66 है0, में वादी बद्रीलाल का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी पर ऑनलाईन दर्ज कराते समय से बद्रीलाल पुत्री रामकन्या दर्ज करा दिया गया है। प्रार्थी को उक्त जानकारी बैंक से कृषि कार्य हेतु के0सी0सी0 लेते समय हुआ है।

यह कि वादी द्वारा पूर्व में तहसीलदार महोदय कनवास को दिनांक 31.07.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नकल जमाबंदी में बद्रीलाल पुत्री रामकन्या के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रामकन्या को शुद्व व सही करने हेतु निवेदन किया गया था किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक भी प्रार्थना–पत्र पर कोई सुनवाई नहीं की गई। जिससे वादी को कृषि विकास कार्यों हेतु ऋण लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1230 की संयुक्त खातेदारी की आराजी में वादी का अंकित नाम बद्रीलाल पुत्री रामकन्या को दुरूस्त कर बद्रीलाल पुत्र रामकन्या दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, तहसीलदार कनवास तलवी जारी किया गया। तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 18.09.2020 को अपने पत्र क्रमांक एल.आर./20/5141 दिनांक 18.09.2020 से जवाब पेश किया कि प्रार्थी बद्रीलाल पुत्र रामकन्या जाति गुर्जर निवासी कनवास की आराजी खसरा नबंर 1230 रकबा 3.66 है0, में बद्रीलाल, रूपचन्द, पुरूषोतम पुत्रान रामकन्या एवं इन्द्रा बाई , पत्नि जोधराज, रीना पुत्री जोधराज, सुनिल पुत्र जोधराज, नरेन्द्र पुत्र जोधराज दर्ज है। उक्त आराजी को ऑनलाईन कराते समय सहवन से बद्रीलाल पुत्री रामकन्या दर्ज करा दिया गया। : वादी के वाद पत्र अनुसार ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1230 में बद्रीलाल पुत्री रामकन्या के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रामकन्या दर्ज कराये जाने में कोई राजहित प्रभावित नहीं है। उक्त आराजी में बद्रीलाल पुत्र रामकन्या दर्ज किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. श्री बद्रीलाल पुत्र रामकन्या जाति गुर्जर निवासी कनवास।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **59/20** सन **2020** तारीख फैसला **18.09.2020** **न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम कनवास के खसरा नबंर 1230 की रकबा 3.66 में अंकित बद्रीलाल पुत्री रामकन्या को दुरूस्त कर उसके स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रामकन्या दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **18.09.2020** माह **सितम्बर** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया, जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते है। कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1230 की रकबा 3.66 में बद्रीलाल पुत्री रामकन्या को दुरूस्त कर उसके स्थान पर "बद्रीलाल पुत्र रामकन्या" दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1230 की रकबा 3.66 है0, में बद्रीलाल पुत्री रामकन्या को दुरूस्त कर उसके स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रामकन्या दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
आदेश आज दिनांक 18.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश [illegible] (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा (राज0)

	[illegible]	

कार्यालय तहसीलदार (भू अभि) कनवास

क्रमांक भू/20/5141 दिनांक 18/9/2020

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कनवास

विषय:- प्रार्थी बद्री लाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी कनवास के सन्दर्भ में

प्रसंग:- श्रीमान के पत्र क्रमांक 2944 9/9/2020 के सन्दर्भ में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी बद्री लाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी कनवास का प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम कनवास खसरा नम्बर 1230 रकबा 3.66 है. में बद्री लाल, रूपचन्द, पुरुषोत्तम पुत्रान रामकन्या व खातेदार दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार यह online नाम दर्ज करते समय गलती से बद्री लाल पुत्री रामकन्या दर्ज हो गया।

अतः खाते में बद्री लाल पुत्री रामकन्या के स्थान पर बद्री लाल पुत्र रामकन्या दर्ज करना किया जाना उचित है। श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अभि.)
कनवास, जिला कोटा

	किया जाना अति आवश्यक है	